आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28.03.2024	**वाद संख्या–04 / 2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती सरीता देवी, ग्राम+पो0+पंचायत–चपरी, प्रखण्ड–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा अनुपस्थित। आयोग के अभिलेख में शिकायतकर्ता द्वारा भेजा गया पक्ष मौजूद है, जिसमें उनका कहना है कि आयोग को पदाधिकारी द्वारा गलत जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। गौरतलब है कि पूर्व में कई अवसर पर आयोग ने शिकायतकर्ता को लिखित पक्ष रखने को कहा था। आज की सुनवाई में मौजूद शिकायतकर्ता और उनके सहयोगी ने आयोग को बताया गया कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, ठाकुरगंगटी द्वारा दिनांक–29.01.2024 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को भेजे गये प्रतिवेदन में गलत तथ्यों का उल्लेख किया गया है। ऐसे में आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोड्डा को निर्देश देता है कि वे शिकायतकर्ता से संपर्क कर तत्काल शिकायतकर्ता की समस्याओं का निदान करें, क्योंकि शिकायतकर्ता का कहना है कि वे वर्ष–2022 से ही लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ है। ऐसे में आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वे व्यक्तिगत रूची लेते हुए इस मामले में शिकायतकर्ता को न्याय दिलाने की दिशा में उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति उपायुक्त, गोड्डा को भी भेजी जाए, ताकि उपायुक्त, गोड्डा भी इस बात को सुनिश्चित कराएं कि शिकायतकर्ता के शिकायतों का ससमय निदान हो पाए। आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोड्डा को निर्देश देता है कि इस मामले में वे इस बात की भी जानकारी दें कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, ठाकुरगंगटी द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को पत्रांक–10 दिनांक–29.01.2024 के माध्यम से भेजे गये पत्र में उल्लेखित तथ्य सत्य हैं या नहीं ? यदि तथ्य प्रमाणित नहीं है, तो प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, ठाकुरगंगटी के विरूद्ध गलत तथ्य पेश करने के सम्बन्ध में कारण पृच्छा की जाए। अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोड्डा अगली सुनवाई से पूर्व अपना लिखित पक्ष आयोग को प्रेषित करें। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–12.04.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक12.04.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx166	